

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बड़जलास - मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या - 46/2019

प्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा
अधिकारी कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
कम अभिहित अधिकारी, नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण
1नेमाराम प्रजापत पुत्र सम्पतलाल जाति प्रजापत
निवासी मुकाम पोस्ट जसवंताबाद तहसील रियाबडी जिला नागौर।
2फर्म-मैसर्स प्रजापत किराणा स्टोर, शिवाजी मार्केट, जसनगर
तहसील रियाबडी जिला नागौर।

आदेश

दिनांक :25.02.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 12-02-2019 को मैसर्स प्रजापत किराणा स्टोर, शिवाजी मार्केट, जसनगर तहसील रियाबडी जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (अरिहंत ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1087 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 97/एक्ट/2019/149 दिनांक 26.02.2019 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना हल्दी पाउडर (अरिहंत ब्राण्ड) अनसेफ तथा मिस ब्राण्डेड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त नेमाराम प्रजापत पुत्र सम्पतलाल जाति प्रजापत निवासी मुकाम पोस्ट जसवंताबाद तहसील रियाबडी जिला नागौर व प्रजापत किराणा स्टोर, शिवाजी मार्केट, जसनगर तहसील रियाबडी जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ. एस.एस.ए.2006 की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 27-11-2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब दिनांक 25.02.2021 को पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी दुकान से हल्दी का सेम्पल भरा। जो मिसब्राण्ड होना पाया गया। मैं हल्दी जोधपुर से खरीदकर लेकर आया। मुझे छोटे दुकानदार होने से ध्यान नहीं था। अब ध्यान रखकर खरीद कर लाउगा। मुझे कम से जुर्माना कर दोष मुक्त करने की कृपा करे। भविष्य मे ऐसी गलती नहीं करूंगा।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 97/एक्ट/2019/149 दिनांक 26.02.2019 के अनुसार खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (अरिहंत ब्राण्ड) का नमूना अनसेफ तथा मिस ब्राण्डेड पाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा भी अपने जवाब में अपना जुर्म स्वीकार स्वीकार किया है। अतः अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण नेमाराम प्रजापत पुत्र सम्पतलाल जाति प्रजापत निवासी मुकाम पोस्ट जसवंताबाद तहसील रियाबडी जिला नागौर व प्रजापत किराणा स्टोर, शिवाजी मार्केट, जसनगर तहसील रियाबडी जिला नागौर पर संयुक्त रूप से 10,000/- अक्षरे रूपये दस हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते हैं तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)

अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
शांतिरक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर